प्रकरण सं. Online = 2024/6542 offline 353/2024 उनवान लहरू v/s अलोल

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/6/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 7/8/25 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
07/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से पत्रांक 134 दिनांक 09/5/25 से रास्ते का प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली विपक्षीगण के जवाब हेतु दिनांक 14.8.25 को पेश हो। Arshad 7/8/25	
14/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 से लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या-1 के सम्मन रजिस्टर्ड AD आदी होकर डिलीवर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। विपक्षी संख्या-1 उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 2 से लगायत 4 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 से लगायत 4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रूपाहेली के आराजी नम्बर 909 में कृषि प्रयोजनार्थ आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 के आराजी संख्या	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

913 में से रास्ते हेतु भूमि दर्ज करवायी जावें। विपक्षी संख्या 2 से लगायत 5 के अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थी की सामलाती आराजी नम्बर 916 से प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 909, 910, 911, 876 से लगती हुई है, जिससे प्रार्थी को रास्ते हेतु भूमि की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 की आराजी नम्बर 909 से रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करवाया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज का अध्ययन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट का परिक्षण किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ग्राम रूपाहेली, तहसील भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 909 का खातेदार दर्ज है। इस आराजी नम्बर में कृषि प्रयोजनार्थ आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 के खातेदारी आराजी नम्बर 913 में से रास्ते हेतु भूमि चाही गई है। तहसीलदार भीलवाड़ा के जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 909, 910, 911 व 876 से लगती हुई, प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 916 में रास्ते हेतु भूमि उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 909 में आने जाने हेतु संयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 916 में रास्ते हेतु भूमि उपयोग में आने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 के आराजी नम्बर 913 में से रास्ते हेतु भूमि स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) का खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा